



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11072026-274357
CG-DL-E-11072026-274357

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3601]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 10, 2026/आषाढ 19, 1948

No. 3601]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 10, 2026/ASHADHA 19, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2026

का.आ. 3763(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.3112(अ) तारीख 11/07/2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के अलीराजपुर जिले में NH56 के कि.मी. 0.000 से 27.500 कि.मी. तक (जोबट-अम्बुआ-गुजरातबॉर्डर रोड) तक के निर्माण, (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), तालुका जोबट, जिला अलीराजपुर (म.प्र.) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "25/12/2025 को "दैनिक भास्कर", 10/10/2025 को "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में प्रकाशित किया गया था ;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आपेक्ष प्राप्त नहीं हुए है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के अलीराजपुर जिले में NH56केकि.मी. 0+000 से 27+500 कि.मी. तक (जोबट-अम्बुआ-गुजरात बॉर्डर रोड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश			जिले का नाम: अलीराजपुर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: जोबट					
गांव का नाम: कालुवाट					
1	29	निजी	सिंचित	0.03	रमतु विधवा भूना भावसिंह धन्ना पिता पेमाला अरविंद दिनेश अनिल पिता भूना 29
2	871	सरकारी	रास्ता	0.027	मध्य प्रदेश शासन 871
गांव का नाम: टेमाची					
3	936	सरकारी	चारागाह	0.054	मध्य प्रदेश शासन 936
4	968/2	सरकारी	स्थायी पगडंडी	0.007	सार्वजनिक ऍवम प्रशासनिक संस्थान 968/2
5	969	सरकारी	सड़क	0.003	मध्य प्रदेश शासन 969
गांव का नाम: छोटा ईटारा					
6	410/1	सरकारी	भवन	0.002	मध्य प्रदेश शासन 410/1
7	693	सरकारी	रास्ता	0.023	मध्य प्रदेश शासन 693

8	706	निजी	सिंचित	0.002	अजयसिंह पिता नहाला 706
Total				0.148	

[फा. सं. CE-RO BPL/30010/69/2023-24/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th July, 2026

S.O. 3763(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **S.O.No. 3112(E) Dated: 11/07/2025**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), Maintenance, management and operation of **NH56** in the stretch of land from **Km. 0+000 To 27+500 Km. to (Jobat-Ambua-Gujrat Border Road)** in the **Taluka Jobat** district of **ALIRAJPUR** in the state of **MADHYA PRADESH**.

And whereas the substance of the said notification has been published in “Dainik Bhaskar” dated 25/12/2025, “The Times of India” dated 10/10/2025 ; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objection has been received from any person by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the **NH56** in the stretch of land from **Km. 0+000 To 27+500 Km. to (Jobat-Ambua-Gujrat Border Road)** in the district of **ALIRAJPUR** in the state of **MADHYA PRADESH**.

State: MADHYA PRADESH			District: ALIRAJPUR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Jobat					
Village: Kaluwat					
1	29	Private	Irrigated	0.03	Ramtu Widow Bhuna Bhavsingh Dhanna Father Pemala Arvind Dinesh Anil Father Bhuna 29
2	871	Government	Rasta	0.027	Madhay Pradesh Government 871

Village: Temachi					
3	936	Government	Grassland	0.054	Madhay Pradesh Government 936
4	968/2	Government	Permanent Footpath	0.007	Public Government Institution 968/2
5	969	Government	Road	0.003	Madhay Pradesh Government 969
Village: Chhota Itara					
6	410/1	Government	Building	0.002	Madhay Pradesh Government 410/1
7	693	Government	Way	0.023	Madhay Pradesh Government 693
8	706	Private	Irrigated	0.002	Ajaysingh Father Nahala 706
Total				0.148	

[F. No. CE-RO BPL/30010/69/2023-24/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director